(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 394–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–2–2003 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 21/2001–02/निगरानी.

.....

1–गोपाल पुत्र जगन्नाथ मीना
2–प्रेमनारायण पुत्र कमरवाल
3–सलीम खॉ पुत्र मेहमूद खॉ
समस्त निवासी गण ग्राम भमावद
तहसील कुम्भराज जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 4/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार चाचौड़ा जिला गुना द्वारा प्रकरण कमांक 67/अ–19/1974–75 में दिनांक 18–9–1974 को आदेश पारित कर आवेदकगण सहित अन्य को भूमि का आवंटन किया गया । आवंटन में घोर अनियमितताएं पाते हुये अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 9–11–1994 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों का आवंटन निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–2–2003 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा लम्बे समय उपरांत प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और इस ओर आयुक्त द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है । अतः अपर कलेक्टर और आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर एवं आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन में गंभीर अनियमितताएं की गई थी इसलिये उनका आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश की आयुक्त द्वारा पुष्टि करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बंटन में गंभीर अनियमितताएं की गई है ऐसी स्थिति में कलेक्टर न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर प्रश्नाधीन भूमियों का आवंटन निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और कलेक्टर न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में आयुक्त न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त न्यायालय ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2003 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर